

बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या- पी०पी०एम०-०९/२०१२

७९६

/क०, पटना, दिनांक- ०८-०२-२०१८

शुद्धि पत्र


विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या ०८ दिनांक ०२.०१.२०१८ द्वारा स्वीकृत्यादेश संख्या-५४२६ दिनांक ०१.१०.२०१२ एवं २८२ दिनांक १९.०१.२०१८ के क्रम में कृषि परिसर मीठापुर, पटना में संयुक्त कृषि भवन, प्रशिक्षण केन्द्र, आवासीय भवन का निर्माण तथा परिसर के आधुनिकीकरण की योजना का वित्तीय वर्ष २०१७-१८ एवं २०१८-१९ तक अवधि विस्तार एवं वर्ष २०१७-१८ में ३०००.०० लाख (तीस करोड़) रुपये तथा वर्ष २०१८-१९ में ४७२३.४९ लाख (सैंतालीस करोड़ तेइस लाख उनचास हजार) रुपये कुल ७७२३.४९ लाख (सतहत्तर करोड़ तेइस लाख उनचास हजार) रुपये की स्वीकृति एवं इसके अधीन वर्ष २०१७-१८ में ३०००.०० लाख (तीस करोड़) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

२. उक्त स्वीकृत्यादेश की कडिका-४ को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है,

पूर्व का आदेश	संशोधित आदेश
आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार को अनुदान के रूप में स्वीकृत राशि की निकासी कृषि निदेशक, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से बी०टी०सी०-४२ पर की जायेगी। आधारभूत संरचना प्राधिकार से पूर्व प्राप्ति रसीद विपत्र के साथ संलग्न की जायेगी। आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, बिहार तथा कृषि विभाग को भेजी जायेगी। महालेखाकार को अंकेक्षण का अधिकार होगा। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा परियोजना के लिए अलग से लेख संधारण किया जायेगा।	आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार को मुख्य निर्माण कार्य मद में स्वीकृत राशि की निकासी कृषि निदेशक, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से बी०टी०सी०-४६ पर की जायेगी। आधारभूत संरचना प्राधिकार से पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर एजेंसी के पी०एल०ए० खाता संख्या-२६८ में अंतरित की जायेगी। आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, बिहार तथा कृषि विभाग को भेजी जायेगी। महालेखाकार को अंकेक्षण का अधिकार होगा। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा परियोजना के लिए अलग से लेख संधारण किया जायेगा।

३. शेष कडिकाएँ यथावत रहेंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(सुधीर कुमार)

प्रधान सचिव,


कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- पी०पी०एम०-०९/२०१२-

७९६

/क०, पटना दिनांक-०८-०२-२०१८

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले. एवं ह.), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



प्रधान सचिव,


कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- पी०पी०एम०-०९/२०१२-

७९६

/क०, पटना दिनांक-०८-०२-२०१८


प्रतिलिपि:- योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।


ज्ञापांक- पी०पी०एम०-०९/२०१२- ७९६ /कृ०, पटना दिनांक-०८-०२-२०१८
प्रतिलिपि:- सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


३-२-२०१८
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- पी०पी०एम०-०९/२०१२- ७९६ /कृ०, पटना दिनांक-०८-०२-२०१८
प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन),
आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


३-२-२०१८
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- पी०पी०एम०-०९/२०१२- ७९६ /कृ०, पटना दिनांक-०८-०२-२०१८
प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त
सचिव/प्रधान सचिव, कृषि विभाग के आप्त सचिव/ कृषि निदेशक/निदेशक, पी०पी०एम०/जिला कृषि
पदाधिकारी, पटना/संयुक्त निदेशक (रसायन), मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, मीठापुर, पटना/ बजट एवं
योजना शाखा, सचिवालय एवं कृषि निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्प) सूचना,
बिहार, पटना को (विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


३-२-२०१८
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

